न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 78/अपील/2024 (GCMS No. 2024/247)	30.12.2024	26.05.2025

प्रमोद कुमार आ. गुलाबचन्द जाति महाजन,
निवासी बिजौलिया, तहसील बिजौलिया व जिला भीलवाडा (राज0)

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, उपतहसील डाबी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी (राज0)

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलांट की ओर से श्री बृजमोहन गौतम, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने नायब तहसीलदार डाबी द्वारा मिसल संख्या 4/2024 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2024 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। जिसमें अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को विधिविरूद्ध बताते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 78/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/247 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गयी।

जिला कलेक्टर, बून्दी

तत्पश्चात् बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 203 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बरडा ग्राम पराना पर फसल खरीफ 2081 में अतिक्रमण मानते हुए दिनांक 31.07.2024 को धारा 91 की कार्यवाही कर नोटिस जारी किये गये है एवं अंकन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात किस्म गैर मुमकिन बरडा पर ऑफिस, कमरे, कोट व बाड़ा बनाकर कब्जा किया हुआ है। उक्त पश्चातवृर्ती अतिचार बाबत नोटिस जारी किया जा रहा है। यह हेतुक दर्शित करने की आपको तीन माह की अवधि के सिविल कारागार सुपुर्द कर दिया जावे। उक्त बाबत नोटिस प्रेषित कर दिनांक 13.08. 2024 की पेशी नियत की गई एवं इसके पश्चात एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बेदखली के आदेश पारित किए गए है, जो कि प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर स्वयं की खननशुदा आवंटित आराजीयात पर काबिज है, उक्त आराजी पर पूर्व में अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है एवं इसके उपरांत भी पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना वर्णित हुए अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखली के आदेश पारित किये गये है। धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय को केवल सरकारी सिवायचक भूमि के संदर्भ में धारा 91 की कार्यवाही किये जाने का अधिकार है। उपरोक्त आराजीयात जो कि कार्यालय खनिज अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग खण्ड द्वितीय द्वारा खनन लीजे हेतु खनन पट्टा संविदा जारी कर अपीलान्ट को आवंटित की गई है एवं उक्त आराजीयात पर अपीलांट स्वयं की निर्धारित खनन भूमि पर काबिज रहे है। अवैधानिक रूप से मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रेषित रिपोर्ट पर धारा 91 की कार्यवाही की अधिकारिता नायब तहसीलदार को तब तक नहीं है जब तक खनन विभाग की ओर से उक्त आशय का प्रस्ताव और आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अतः धारा 95(7) के अनुसरण में बिना प्रस्ताव एवं बिना क्षेत्राधिकार की गई धारा 91 की कार्यवाही विधिविरूद्ध होने से ड्रोप किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। ऐसे में बिना सुनवाई का अवसर दिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त 1995 आरबीजे पृष्ठ 460 एवं. मा. उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त 2006 आरबीजे पृष्ठ 291 का हवाला देते हुये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.08.2024 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर पक्का निर्माण कर आफिस, कमरे, कोटबाडा बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है वह सरकारी सिवायचक भूमि है, जिस पर अपीलांट को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जिसकी पुष्टि रिपोर्ट हल्का पटवारी से होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट ने सिवायचक भूमि खसरा सं. 203 रकबा रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म गे.म.बर्डा वाके ग्राम पराना पर संवत् 2081 मौसम खरीफ में पक्का निर्माण कर आफिस, कमरे, कोटबाडा बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए 500/- रू. शास्ति एवं भूमि से बेदखली के आदेश दिये गये है।

अपीलान्ट द्वारा यहां आपत्ति पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाब या साक्ष्य पेश करने अवसर नहीं दिया, उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी किया जाकर नियत तारीख पेशी दिनांक 13.08.24 को उपस्थित होकर जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, किन्तु बावजूद सूचना अपीलांट नियत पेशी पर अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपना जवाब एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित प्रदान नहीं किये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर स्वामित्व बाबत विधिक दस्तावेज न तो अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये और न ही इस न्यायालय में पेश किये गये। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है।

अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि पर खनन पट्टा जारी होना बताया गया है किन्तु अपीलांट के पक्ष में उक्त भूमि पर कोई खनन लीज स्वीकृत होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर होना प्रमाणित नहीं है। अपीलांट उक्त भूमि पर अपना कानूनी हक साबित नहीं कर पाया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई धारा 91 की कार्यवाही उचित प्रतीत होती है

जिला कलक्टर, बूंदी

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर समस्त तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी